मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण

डॉ. बसन्तीलाल बाबेल

निदेशक, राजस्थान विधि संस्थान,
निदेशक राजस्थान मानक ब्यूरो,
पूर्व सदस्य, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा,
उप-सचिव, राज्य विधि आयोग, उप-शासन सचिव, गृह (विधि)
विधि व्याख्याता, लेखक एवं विचारक,
लावा सदारगढ़, राजस्थान।

पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक ज्वलन्त समस्या है। आज सम्पूर्ण मानव जाति इस समस्या से त्रस्त हैं। बढ़ता हुआ वायु, जल एवं पर्यावरण प्रदूषण मानवाधिकारों को प्रतिकूलता प्रभावित कर रहा है। लोक न्यूसेन्स एवं प्रदूषण से आज आम आदमी परेशान है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण, कूड़ा करकट का ढेर, वाहनों की ध्वनि और धुआँ एक सामान्य बात हो गई है। आपाधापी के इस माहौल में ऐसा लगता है मानों ये सब भी मनुष्य के अधिकार बन गए हैं।

''लॉ सोसाइटी ऑफ इण्डिया बनाम फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर (ए.आई.आर. 1994, केरल 308) के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा स्वच्छ पर्यावरण को जीने के अधिकार का एक अंग माना गया है। न्यायालय का यह मत है कि मानव क्षेम एवं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण अपरिहार्य है।

हमारे यहाँ स्वायतशासी संस्थाओं पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वे शहरों एवं नगरों की सफाई की व्यवस्था करें तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने का प्रयास करें। स्वायतशासी संस्थाएं अर्थाभाव का बहाना बनाकर अपने इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकती। म्युनिसिपल कौंसिल, रतलाम बनाम बिरधीचन्द (ए.आई.आर. 1980; एस.सी. 1622) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नगर की सफाई एवं स्वच्छता नगरपालिकाओं का दायित्व है। नगरपालिकाएं आर्थिक अभाव का बहाना बनाकर इस दायित्व से विमुख नहीं हो सकती। ऐसा ही एक मामला एल. के. कूलवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (ए.आई.आर. 1988 राजस्थान) का है। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ्य का रखरखाव संविधान के अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि में आता है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो यह मानव जीवन के लिए संकटापन्न है तथा यह धीमे विषपान का काम करता है। अतः नगरपालिका का यह प्रमुख कर्त्तव्य है कि वह नगर में पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ्य के रखरखाव के दायित्व को पूरा करें। उसका यह बचाव नहीं हो सकता कि वह ऐसा करने में धन एवं कर्मचारियों की कमी के कारण असमर्थ है।

इन दोनों निर्णयों से यह स्पष्ट है कि स्वायतशासी संस्थायें नगर की सफाई,स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण के रख रखाव के लिए आबद्ध हैं। इस दायित्व से विमुख होना मूल एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उद्योगों एवं कारखानों द्वारा भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जा सकता। आज धारणा यह बन गई है कि यदि पर्यावरण के संरक्षण के लिए उद्योग धन्धों को बन्द भी करना पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। इण्डियन कौंसिल फोर एन्वायरों लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर.1996; एस.सी.1441) का इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मामला है। राजस्थान में एक छोटा सा गाँव है 'बिछड़ी'। यहाँ की

अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। खेत और खलिहान ही उनकी आजीविका के साधन हैं। परन्तु यहां स्थापित कतिपय उद्योगों द्वारा इनकी इस आजीविका को छीन लिया गया। यहां कुछ कारखाने केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फास्फेट्स आदि स्थापित किए गए जिनसे गांव की भूमि, जल, हवा, पर्यावरण आदि प्रदूषित हो गये। गांव की भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई तथा ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उच्चतम् न्यायालय ने इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से लिया। न्यायालय ने न केवल इन उद्योगों को बन्द करने का आदेश दिया अपितु यह भी निर्देश दिया कि इनके कारखानों को सील कर लिया जाये और क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाये। यह कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया।

इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का एक और निर्णय एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 734) का उदाहरण उद्धरणीय है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ताजमहल के सौन्दर्य की रक्षा के लिए लगभग 292 कारखानों एवं उद्योगों को ताजमहल के आसपास से हटाने के निर्देश प्रदान किए गए। उच्चतम् न्यायालय ने कहा - 'ताज विश्व के आश्चर्यों में सरताज है। यह मुगलकालीन कला की अन्तिम बेजोड़ मिसाल है। शाहजहाँ की पत्नी 'मुमताज' की चिरस्थायी यादगार है। वास्तुविदों के कला कौशल की अनुपम कृति है। कला और संस्कृति का संगम स्थल है। इसका सौंदर्य राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर है।' उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा - ताज न केवल एक सौंदर्य की वस्तु है अपितु हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और अपने आप में एक उद्योग है। प्रतिवर्ष लगभग बीस लाख पर्यटक इसके सौंदर्य का आनन्द उठाते हैं। देश के लिए राजस्व का यह एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसका संरक्षण और परिरक्षण हमारा दायित्व है।

इस प्रकार के विभिन्न न्यायिक निर्णयों में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। हमारी विधियों में भी पर्यावरण संरक्षण के पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 51(क) में यह व्यवस्था की गई है कि

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।"

संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय समय पर कई अधिनियम पारित किये गये हैं। सन् 1974 में जल-प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, सन् 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा सन् 1986 में 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' पारित किये गये। इन अधिनियमों में जल, वायु एवं पर्यावरण प्रदूषण निवारण के प्रभावी उपबन्ध किये गये हैं। इण्डियन कौंसिल फोर एन्वायरों लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर.1996; एस.सी.1441) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि - प्रदूषण चाहे हवा का हो या जल का, प्रदूषण है और मानव जाति के लिए घातक है। अब समया आ गया है जब प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन, प्रशासन एवं स्वैच्छिक संगठनों को पहल करनी होगी।

पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों की भी अहम भूमिका होती है। जी.आर. साईमन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 1997 दिल्ली 301) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- 'वातावरण संतुलन बनाये रखने में प्रत्येक जीव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ जीवों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वे

मानव जीवन के लिए संकटापन्न है। अतः वन्य जीवों का संरक्षण एवं परिरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है और ऐसा किया जाना जनहित में है।

ठीक यही स्थिति वनों की है। वनों से भी पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। यही कारण है कि वनों की कटाई को दण्डनीय अपराध बनाया गया है तथा वन उपज के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति को अनिवार्य किया गया है। स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सुधीर रंजन नाथ (ए.आई.आर. 1997; एस.सी. 1168) तथा रांची टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ बिहार (ए.आई.आर. 1998; पटना 31) के मामलों में वन उपज के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति की आवश्यकता की पुष्टि की गई है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम स्वरूप चन्द्र (ए.आई.आर. 1997; एस.सी. 301) के मामले में तो वन उपज के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को राजसात् किए जाने की व्यवस्था को भी समुचित एवं न्यायोचित बताया गया है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण मानवाधकारों का ही एक अभिन्न अंग है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पर्यावरण का संरक्षण अपरिहार्य है। प्रत्येक व्यक्ति का यह विधिक ही नहीं अपितु नैतिक कर्त्तव्य भी है कि वह वायु, जल, वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के संरक्षण का प्रयास करें ताकि आने वाली पीढियों को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अवसर मिल सके।